भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3093

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल राशियों में गाद का जमना

3093. श्री सुनील कुमार पिंटू:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश और विशेषकर बिहार के सीतामढ़ी जिले में नदियों, जल भंडारों, तालाबों इत्यादि में गाद जमा होने के कारण वर्षा जल को संग्रहीत नहीं किया जा रहा जिससे भू-जल स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने और भू-जल स्तर को बनाए रखने हेतु क्या योजना बनाई गई/बनाई जा रही है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) नदियों और जल निकायों में गाद जमा होना जल के परिस्रवण और भूमि जल के पुनर्भरण को दुष्प्रभावित कर सकते हैं। तथापि, भूमि जल स्तर में गिरावट मुख्यत: विभिन्न उपयोगों के लिए स्वच्छ जल की मांग में वृद्धि, वर्षापात में अनियमितता, बढ़ी हुई जनसंख्या, औद्योगीकरण और शहरीकरण आदि जैसे कारणों के लिए निरंतर जल निकासी के कारण है।

जल, राज्य का विषय होने के कारण देश में भूमि जल के संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण सहित जल प्रबंधन संबंधी पहल की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्यों की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने देश में भूमि जल के स्तर में गिरावट को रोकने के लिए भूमि के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु भूमि जल का संरक्षण और वर्ष जल संचयन के लिए महत्वपूर्ण दीर्घावधि नीतिगत पहल की है, जो कि निम्नलिखित है-

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf.

केन्द्र सरकार मुख्यत: महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास घटक और पीएमकेएसवाई- हर बूंद से अधिक फसल के माध्यम से जल

संचयन संरचनाओं के निर्माण तथा संरक्षण कार्यों के लिए सहायता करती है। इन स्कीमों के माध्यम से विगत तीन वर्षों के दौरान 23435.67 करोड़ रूपए के व्यय से 1756207 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान बिहार राज्य के सीतामढी जिले में मनरेगा के तहत शुरू किए गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

पारंपरिक जल निकायों का पुनरूद्धार		जल संरक्षण और जल संचयन	
पूर्ण और स्पिल ओवर वास्तविक कार्य (संख्या)	किया गया व्यय (लाख रूपए)	पूर्ण और स्पिल ओवर वास्तविक कार्य (संख्या)	किया गया व्यय (लाख रूपए)
53	36.68	542	301.1

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल निकायों की त, नवीकरण और पुनरूद्धार स्कीम का लक्ष्य टैंक भंडारण क्षमता को बढ़ान, भूमि जल पुनर्भरण आदि जैसे अन्य बहुउद्देशीय लक्ष्यों के साथ-साथ जल निकायों के सुधार और पुनरूद्धार द्वारा सिंचाई क्षमता को बढ़ाना है। स्कीम के अन्तर्गत निर्माण-कार्यों के क्षेत्र में गाद हटाना, संवहन प्रणाली की मरम्मत, बांधों को सुदृढ़ बनाना आदि शामिल है।

जल निकायों की आरआआर स्कीम के तहत 12वीं योजना से विभिन्न राज्यों में पुनरूद्धार हेतु 1765 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत सहित कुल 2064 जल निकायों (बिहार राज्य से 27 जल निकायों सहित) का कार्य शुरू किया गया है, इनमें से मार्च, 2019 तक 0.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की क्षमता के पुनरूद्धार सहित 1160 जल निकायों को पूरा किए जाने की सूचना है। इन जल निकायों के कार्य को पूरा करने के लिए मार्च, 2019 तक राज्यों को 369.11 करोड़ रूपए (बिहार राज्य के लिए 6.255 करोड़ रूपए सहित) की केन्द्रीय सहायता जारी किए गए।

*****